न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज०

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 119/2023
जीसीएमएस नं. :– 2024/246

वादी :–
ओमप्रकाश पुत्र लुम्बाराम जाति जाट
निवासी रतकूड़िया तहसील पीपाड़
शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादी :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री ओमप्रकाश कच्छावाह वादी की ओर से
प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :– 04.12.2023

"आदेश" दिनांक : 05.03.2025

वादी ने एक वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 88 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रतकुड़िया पटवार क्षेत्र रतकुडिया तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (राज.) की राजस्व सीमा में वादी की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 2166 क्षेत्रफल 1.7563 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 221/2 क्षेत्रफल 0.5261 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नबंर 514 क्षेत्रफल 1.3921 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 515 क्षेत्रफल 1.1088 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 520 /1 क्षेत्रफल 1.1088 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 576 क्षेत्रफल 2.4524 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय द्वितीय, खसरा नबंर 948 क्षेत्रफल 0.6313 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरे 07 कुल क्षेत्रफल 8.9758 हेक्टेयर कृषि भूमि आई हुई है जो खाता संख्या नया 330 व पूराना 188 पर इन्द्राजशुदा है। उक्त खसरें की कृषि भूमि को आगे वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा सबूत में नकल जमाबंदी संम्वत 2076 से 2079 की प्रमाणित प्रति संलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम पारस उर्फ ओमाराम पुत्र लूम्बाराम अंकित है जो कि त्रुटिंपूर्ण नाम है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम ओमप्रकाश पुत्र लूम्बाराम है। वादी के आधार कार्ड, श्रमिक कार्ड, परिवारकार्ड, जनआधार कार्ड में वादी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र लूम्बाराम अंकित है। वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भुलवश सेवन से घरेलु बोलचाल का नाम पारस उर्फ ओमाराम अंकित हो गया जो कि मानवीय भूल है जिसको दुरूस्त करवानें का वादी अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 16.11.2023 को तहसीलदार पीपाड शहर के समक्ष नाम शुद्धि के लिए आवेदन किया गया जिस पर वादी को सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की सलाह देते हुए आवेदन को लौटा दिया गया जिस पर श्रीमान

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने के अलावा वादी के पास विकल्प नही है इसलिए वादी का उक्त वाद वास्तें सही नाम पारस उर्फ ओमाराम पुत्र लूम्बाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र लूम्बाराम किये जानें की घोषणा हेतु प्रस्तुत है। यह है कि इंस्तदुआ वादी निम्न प्रकार से है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की घोषणा की डिकी सादिर फरमायी जावे कि ग्राम रतकुड़िया पटवार क्षेत्र रतकुडिया तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर (राज.) की राजस्व सीमा में वादी की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 2166 क्षेत्रफल 1.7563 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 221/2 क्षेत्रफल 0.5261 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नबंर 514 क्षेत्रफल 1.3921 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 515 क्षेत्रफल 1.1088 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 520/1 क्षेत्रफल 1.1088 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 576. क्षेत्रफल 2.4524 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 948 क्षेत्रफल 0.6313 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरे 07 कुल क्षेत्रफल 8.9758 हेक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम पारस उर्फ ओमाराम पुत्र लूम्बाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र लूम्बाराम घोषित किया जावे। अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादी के पक्ष में अता फरमावें।

हमने वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया । प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर को जरिये नोटिस जारी किया गया । प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ और तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम रतकूड़िया की जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 खाता नम्बर 330 में वादी का नाम पारस उर्फ ओमप्रकाश पुत्र लुम्बाराम जाति जाट दर्ज हैं। वादी के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पहचान पत्र में वादी का नाम ओमप्रकाश पुत्र लुम्बाराम दर्ज हैं। पारस उर्फ ओमप्रकाश पुत्र लुम्बाराम व ओमप्रकाश पुत्र लुम्बाराम दोनो एक ही व्यक्ति हैं। अतः वादी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र लुम्बाराम किया जाने की अनुशंषा की जाती हैं।

हमने बहस पक्षकारान सुनी गयी, जिसमे वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के बिन्दुओ को वादी की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 2166 क्षेत्रफल 1.7563 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 221/2 क्षेत्रफल 0.5261 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नबंर 514 क्षेत्रफल 1.3921 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 515 क्षेत्रफल 1.1088 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 520/1 क्षेत्रफल 1.1088 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 576. क्षेत्रफल 2.4524 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 948 क्षेत्रफल 0.6313 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरे 07 कुल क्षेत्रफल 8.9758 हेक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम पारस उर्फ ओमाराम पुत्र लूम्बाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र लूम्बाराम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया हैं।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

इसी प्रकार प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने नाम शुद्धि बाबत् अनापति जाहिर की है ।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, तहसीलदार जवाब अनुसार वादी का वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि वादी की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा कृषि भूमि खसरा नबंर 2166 क्षेत्रफल 1.7563 हेक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नबंर 221/2 क्षेत्रफल 0.5261 हेक्टेयर किस्म बारानी तृतीय, खसरा नबंर 514 क्षेत्रफल 1.3921 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 515 क्षेत्रफल 1.1088 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 520/1 क्षेत्रफल 1.1088 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 576. क्षेत्रफल 2.4524 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय, खसरा नबंर 948 क्षेत्रफल 0.6313 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरे 07 कुल क्षेत्रफल 8.9758 हेक्टेयर कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम पारस उर्फ ओमाराम पुत्र लूम्बाराम के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र लूम्बाराम दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

5/3/25
(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 05.03.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते पीपाड़ शहर (जोधपुर)